

**अध्याय-3**  
**वित्तीय प्रबंधन**



## अध्याय - 3

### वित्तीय प्रबंधन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एक केंद्र पोषित माँग आधारित रोजगार कार्यक्रम है, जिसे भारत सरकार और राज्य सरकार के मध्य लागत हिस्सेदारी के आधार पर लागू किया गया है। श्रम बजट (श्र ब) में अनुमानित श्रम माँग<sup>1</sup> के आधार पर केंद्रान्श अथवा निधि निर्गत होती है। श्रमिकों को मजदूरी के विलंबित भुगतान की क्षतिपूर्ति, बेरोजगारी भत्ते एवं राज्य रोजगार गारंटी परिषद के प्रशासनिक व्ययों को भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

#### 3.1 वित्तपोषण पद्धति

योजना के अंतर्गत केन्द्रीय अंश (के अं) समान्यतः दो ट्रेंच में अवमुक्त किया जाता है। के अं की प्रथम ट्रेंच की धनराशि का आवंटन वार्षिक श्र ब के अनुसार, प्रथम छः माह की आवश्यकताओं के अनुपात में किया जाता है, जो कि कुल वार्षिक आवश्यकता का अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीमित होता है जबकि द्वितीय ट्रेंच की राशि का आवंटन, अव्ययित राशि एवं स्वीकृत श्र ब के अनुरूप वास्तविक प्रगति के आधार पर अवमुक्त किया जाता है। योजना के विभिन्न मर्दों के अंतर्गत भारत सरकार और राज्य के मध्य अंश का अनुपात नीचे तालिका 3.1 में दर्शाया गया है:

तालिका-3.1: वित्तपोषण पद्धति


मद विवरण	केंद्रीय अंश	राज्य का अंश
अकुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी	100 प्रतिशत	शून्य
कुशल और अर्द्ध-कुशल श्रमिकों हेतु मजदूरी एवं सामग्री लागत	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत
बेरोजगारी भत्ता	शून्य	100 प्रतिशत
प्रशासनिक व्यय	सहायक कर्मचारियों के वेतन और भत्ते का 100 प्रतिशत, केंद्रीय परिषद के प्रशासनिक व्यय और अन्य व्यय जैसा कि केंद्रीय परिषद द्वारा तय किया जाये।	राज्य परिषद का 100 प्रतिशत व्यय

स्रोत: मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013।

<sup>1</sup> भारत सरकार और राज्य सरकार की सहमति।

योजना के अंतर्गत निधि प्रवाह चार्ट-3.1 में दिया गया है:

चार्ट-3.1: मनरेगा योजना के अंतर्गत निधि प्रवाह



अकुशल मजदूरी से संबंधित निधि भारत सरकार द्वारा राज्य रोजगार गारंटी निधि (रा रो गा नि) के नोडल बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित की जाती हैं। भारत सरकार द्वारा कुशल, अर्ध-कुशल और सामग्री लागत के व्यय का 75 प्रतिशत उत्तराखण्ड सरकार (उ स) को अवमुक्त किया जाता है। उ स अपना अंश सम्मिलित करने के पश्चात निधि रा रो गा नि को अवमुक्त करती है।

2019-24 के दौरान अवमुक्त की गई धनराशि के सापेक्ष व्यय नीचे तालिका-3.2 में दर्शाया गया है:

तालिका-3.2: अवमुक्त धनराशि तथा व्यय

(क) मजदूरी मद के अंतर्गत

वर्ष	प्रारंभिक शेष	भारत सरकार से प्राप्त धनराशि	ब्याज	कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय	भारत सरकार को प्रेषित ब्याज	अंतिम शेष
1	2	3	4	5 (2+3+4)	6	7	8 (5-6-7)
(₹ लाख में)							
2019-20	30.29	32,165.62	2.59	32,198.50	32,165.62	31.98	0.90
2020-21	3.48 <sup>2</sup>	71,423.51	2.28	71,429.27	70,328.72	0.82	1,099.73 <sup>3</sup>
2021-22	1099.73	51,063.67	7.28	52,170.68	52,159.94	7.28	3.46
2022-23	3.46	43,781.47	3.68	43,788.61	43,328.53	2.89	457.19 <sup>4</sup>
2023-24	457.19	35,571.62	3.32	36,032.13	36,023.50	0.00	8.63
<b>योग</b>		<b>2,34,005.89</b>	<b>19.15</b>		<b>2,34,006.31</b>	<b>42.97</b>	

स्रोत: बैलेंस शीट और लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र।

<sup>2</sup> वर्ष 2019-20 के अंतिम शेष एवं 2020-21 के प्रारम्भिक शेष में अंतर के कारण से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

<sup>3</sup> भा स द्वारा 31 मार्च 2021 को ₹ 1,089.99 लाख अवमुक्त किए गए।

<sup>4</sup> भा स द्वारा 24 मार्च 2023 को ₹ 1,369.87 लाख अवमुक्त किए गए।

(ख) सामग्री और प्रशासनिक मदों के अंतर्गत

वर्ष	प्रारंभिक शेष	निर्गत धनराशि		ब्याज	कुल उपलब्ध धनराशि	व्यय			भा स को प्रेषित ब्याज	कुल व्यय	अंतिम शेष
		भा स का अंश	राज्य का अंश			सामग्री		प्रशासनिक व्यय			
						भा स अंश	राज्य का अंश				
1	2	3	4	5	6 (2+3+4+5)	7	8	9	10	11 (7+8+9+10)	12 (6-11)
(₹ लाख में)											
2019-20	92.12	14,895.10	3,830.81	48.88	18,866.91	11,965.67	3,988.82	2,789.93	-	18,744.42	122.49
2020-21	122.49	17,309.49	6,904.06	42.44	24,378.48	15,717.95	5,239.32	3,230.18	-	24,187.45	191.03
2021-22	191.03	96,67.15	3,222.38	58.13	13,138.69	91,81.11	3,060.37	849.50	19.89	13,110.87	27.82
2022-23	27.82	40,317.88	12,642.16	105.14	53,093.00	32,177.44	10,725.81	4,583.98	69.19	47,556.42	5,536.58 <sup>5</sup>
2023-24	5,536.58	16,667.39	4,800.40	61.78	27,066.15	17,530.52	5,843.51	3,004.40	-	26,378.43	568.02*
<b>योग</b>		<b>98,857.01</b>	<b>31,399.81</b>	<b>316.37</b>		<b>86,572.69</b>	<b>28,857.83</b>	<b>14,457.99</b>	<b>89.08</b>	<b>1,29,977.59</b>	

स्रोत: बैलेंस शीट और लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाणपत्र।

\* ₹ 119.70 लाख अन्य एकल नोडल खाते में अंतरित किए गए।

राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि:

वर्ष 2019-20 और 28 अगस्त 2020 के मध्य सामग्री और प्रशासनिक मदों के संबंध में केंद्रान्श जारी करते समय, भारत सरकार द्वारा निर्देश दिया गया था कि राज्य सरकार को धनराशि प्राप्त होने की तिथि से तीन दिनों के अंदर राज्यान्श के साथ निधि कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु रा रो गा नि को हस्तांतरित करनी होगी। इस अवधि के बाद अंतरण के प्रकरण में, राज्य सरकार विलंबित अवधि के लिए 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी। भा स द्वारा नवंबर 2020 में इस शर्त में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार केंद्र से निधि प्राप्त होने के 15 दिनों की अधिकतम अवधि के अंदर राज्य द्वारा केंद्रान्श एवं राज्यान्श को, संबंधित राज्य नोडल खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में राज्य सरकार स्तर से रा रो गा नि को धनराशि के समय पर प्रेषित करने के संबंध में अहम खामियां पाई गईं। आर्थिक दंड से बचने के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के अंदर धनराशि का अंतरण किए जाने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, राज्य सरकार द्वारा केन्द्र तथा राज्य दोनों के अंश को अवमुक्त करने में 85 दिनों तक का और राज्य के हिस्से को अवमुक्त करने में 111 दिनों तक का विलम्ब किया गया। (परिशिष्ट-3.1)। परिणामस्वरूप, राज्य सरकार वर्ष 2019-20 और 2020-21 (28 अगस्त 2020 तक) के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई धनराशि एवं राज्य के अंश को देरी से अवमुक्त करने के लिए कुल ₹ 203.43 लाख की राशि के

<sup>5</sup> भारत सरकार ने 25 मार्च 2023 को ₹ 3,508.49 लाख अवमुक्त किए और राज्य द्वारा संबंधित राज्यान्श ₹ 885.24 लाख 31 मार्च 2023 को अवमुक्त किए गए।

ब्याज भुगतान के लिए उत्तरदायी थी। हालांकि, किसी भी अभिलेख से यह ज्ञात नहीं हो पाया कि राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ द्वारा इस समस्या के समाधान अथवा माँग उठाने के लिए कोई कार्यवाही की गयी।

आगे, भारत सरकार के साथ-साथ राज्य के अंश को अवमुक्त करने में विलंब के कारण कुशल/अर्द्ध कुशल श्रमिकों के मजदूरी और सामग्री भुगतान में विलंब के प्रकरण थे, जैसा कि **अध्याय-5** के **प्रस्तर-5.8** में चर्चा की गई है।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान, सचिव, ग्रा वि वि द्वारा पुष्टि की गयी कि वर्ष 2023-24 से धनराशि समय पर अवमुक्त की जा रही है। यह कथन लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुरूप है तथा उसको बल प्रदान करता है।

### **3.2 आवश्यकतानुसार धनराशि अवमुक्त न होना**

अधिनियम, की धारा 3 (3) के अनुसार, कार्य किए जाने के 15 दिनों के अंदर श्रमिकों को भुगतान किया जाना चाहिए।

भा स ने 2019-24 के दौरान अकुशल श्रमिकों द्वारा सृजित मानव दिवसों के सापेक्ष मजदूरी भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि ₹ 2,373.56 करोड़ के सापेक्ष धनराशि ₹ 2,340.07 करोड़ अवमुक्त की गई थी (जैसा नीचे **तालिका-3.3** से देखा जा सकता है) जबकि 01 अप्रैल 2019 को ₹ 55.60 करोड़ की देनदारी विद्यमान थी।

**तालिका-3.3: सृजित मानव दिवस (मा दि) तथा मजदूरी मद के अन्तर्गत अवमुक्त धनराशि**

वर्ष	सृजित मानव दिवस (करोड़ में)	सृजित मानव दिवस के भुगतान हेतु आवश्यक धनराशि (सृजित मानव दिवस *मजदूरी दर <sup>6</sup> )	मजदूरी भुगतान हेतु भा स द्वारा अवमुक्त धनराशि
(₹ करोड़ में)			
2019-20	2.06	374.92	321.66
2020-21	3.04	611.04	714.24
2021-22	2.43	495.72	510.64
2022-23	2.06	438.78	437.81
2023-24	1.97	453.10	355.72
<b>कुल</b>	<b>11.56</b>	<b>2,373.56</b>	<b>2,340.07</b>

स्रोत: नरेगासॉफ्ट और लेखापरीक्षित उपयोगिता प्रमाण-पत्र।

विभाग के अनुसार, मजदूरी मद में पर्याप्त धनराशि अवमुक्त न होने के कारण, राज्य स्तर पर 31 मार्च 2024 को धनराशि ₹ 79.48 करोड़ की बकाया देनदारी थी।

<sup>6</sup> वर्षवार मजदूरी दर: 2019-20: ₹ 182 प्रति दिन, 2020-21: ₹ 201 प्रति दिन, 2021-22: ₹ 204 प्रति दिन, 2022-23: ₹ 213 प्रति दिन और 2023-24: ₹ 230 प्रति दिन।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2024 तक अकुशल श्रमिकों की वास्तविक बकाया देयता ₹ 89.09 करोड़ [₹ 55.60 करोड़ + ₹ 33.49 करोड़ (₹ 2,373.56 करोड़ - ₹ 2,340.07 करोड़)] होनी चाहिए थी, जबकि विभाग के अनुसार यह देयता ₹ 79.48 करोड़ थी, जो वित्तीय प्रबंधन में त्रुटि का सूचक है।

इसके अतिरिक्त, राज्य स्तर पर 31 मार्च 2024 तक अर्द्ध-कुशल/कुशल मजदूरी, सामग्री एवं करों के संबंध में ₹ 122.40 करोड़ की राशि भी बकाया थी, जैसा कि नीचे तालिका-3.4 में दर्शाया गया है:

तालिका-3.4: 31 मार्च 2024 तक बकाया देनदारी

वर्ष	अर्द्ध-कुशल/कुशल मजदूरी	सामग्री	कर	योग
(₹ लाख में)				
2019-20	10.65	22.50	0.01	33.16
2020-21	12.22	29.83	0.06	42.11
2021-22	182.13	107.10	0.39	289.62
2022-23	109.58	385.50	1.74	496.82
2023-24	1,465.83	9,764.88	148.04	11,378.75
<b>कुल</b>	<b>1,780.41</b>	<b>10,309.81</b>	<b>150.24</b>	<b>12,240.46</b>

स्रोत: वित्तीय वर्ष 2023-24 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र।

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा ₹122.40 करोड़ की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया जिसमें अर्द्ध-कुशल/कुशल श्रमिकों को देय मजदूरी के रूप में ₹ 17.80 करोड़ शामिल थे।

आवश्यक धनराशि का कम अवमुक्त किया जाना न केवल विभाग की सक्रियता की कमी को उजागर करता है, बल्कि योजना की समग्र प्रभावशीलता को कम करने का जोखिम भी उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, लंबे समय तक आपूर्तिकर्ताओं को बकाया राशि का भुगतान न करने के परिणामस्वरूप योजना में उनकी रुचि कम हो सकती है।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए सचिव, ग्रा वि वि ने बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा अपर्याप्त निधि निर्गत किए जाने के कारण देनदारियां सृजित हुईं।

### 3.3 राज्य सरकार द्वारा ₹ 44.46 करोड़ का वित्तीय बोझ वहन न किया जाना

मनरेगा की धारा 3 (4) के अनुसार, केन्द्र अथवा राज्य सरकार अपनी आर्थिक क्षमता के अंतर्गत परिवार के वयस्क सदस्यों को गारंटी अवधि से अधिक, अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में 100 दिनों का कार्य पूर्ण करने वाले परिवारों के लिए अतिरिक्त 50 दिनों के रोजगार की अनुमति दी (फरवरी 2021), जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2020-21 के दौरान कुल 20,361 परिवारों को 100 दिनों से अधिक के लिए 23.37 लाख मानव दिवसों का रोजगार प्रदान किया गया, जिस हेतु राज्य द्वारा यह व्यय अपने संसाधनों से वहन किया जाना था, इसके विपरीत भारत सरकार की निधि से ₹ 44.46 करोड़<sup>7</sup> का भुगतान किया गया।

इस प्रकार, उ स द्वारा मनरेगा के अंतर्गत अतिरिक्त 50 दिनों के रोजगार के लिए धनराशि प्रदान करने के अपने वित्तीय दायित्व का पालन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप भारत सरकार के धन का अनुचित उपयोग हुआ। इस चूक ने दर्शाया कि दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बेहतर वित्तीय योजना और जवाबदेही की आवश्यकता है।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान, सचिव, ग्रा वि वि द्वारा अवगत कराया कि 100 दिनों से अधिक के रोजगार के भुगतान के लिए उ स द्वारा ₹ 10 करोड़ की धनराशि प्रदान की गई थी, जिसमें ₹ 2.51 करोड़ का उपयोग किया गया था। यद्यपि, प्रकरण की जाँच की जाएगी और आवश्यक जानकारी प्रदान की जायेगी।

### 3.4 श्रमिकों के विलंबित भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति

अधिनियम की अनुसूची II के प्रस्तर 29 में मस्टर रोल (म रो) के बंद होने के 16 वें दिन से अधिक देरी की अवधि के लिए प्रतिदिन अभुगतानित मजदूरी के 0.05 प्रतिशत की दर से क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, भा स द्वारा जारी मास्टर सर्कुलर के प्रस्तर 9.8.1 के अनुसार, नरेगासॉफ्ट में भुगतान किये जाने वाली क्षतिपूर्ति की गणना<sup>8</sup> करने का प्रावधान है। परिपत्र के प्रस्तर 9.8.2 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक कार्यक्रम अधिकारी


<sup>7</sup> मानव दिवसों की संख्या (23.37 लाख) x मजदूरी दर (₹ 201 प्रति दिन) = ₹ 46.97 करोड़ - ₹ 2.51 करोड़ (राज्य द्वारा अपने स्वयं की निधि से भुगतान) = ₹ 44.46 करोड़।

<sup>8</sup> ध्यान में रखते हुए: (अ) श्रमिक के खाते में मजदूरी के भुगतान के लिए एफ टी ओ अपलोड करने की तिथि (ब) म रो के बंद होने की तिथि (स) इस प्रकार के विलंब की अवधि (द) कुल देय मजदूरी (य) क्षतिपूर्ति की दर।

(का अ) विलंबित क्षतिपूर्ति देय होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर, यह तय करेगा कि नरेगासॉफ्ट द्वारा आगणित क्षतिपूर्ति देय है अथवा नहीं। अस्वीकृति के प्रकरण में, का अ नरेगासॉफ्ट पर अस्वीकृति के लिए विस्तृत कारण अंकित करेगा एवं भविष्य में सत्यापन हेतु अभिलेखों का रख-रखाव करेगा।

नरेगासॉफ्ट आँकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि अत्यधिक संख्या में विलंबित क्षतिपूर्ति दिन होने के उपरांत भी, मात्र इनके न्यूनतम प्रतिशत को भुगतान हेतु अनुमोदित किया गया, जैसा कि नीचे दिया गया है, जो एक प्रणालीगत विफलता को दर्शाता है।

- राज्य स्तर पर, 2019-24 के दौरान कुल 4,19,479 दिनों का विलंबित भुगतान संज्ञान में आया, जिनमें मात्र 34,906 क्षतिपूर्ति दिनों (आठ प्रतिशत) के भुगतान हेतु स्वीकृति दी गयी, जबकि 91,880 दिनों को, प्राकृतिक आपदा के कारण अथवा क्षतिपूर्ति हेतु योग्य न होने के आधार अस्वीकृत पर दिया गया (परिशिष्ट-3.2)। शेष (2,92,693 दिन) क्षतिपूर्ति दिन सत्यापन हेतु लंबित थे जैसा कि चार्ट-3.2 में दर्शाया गया है:



- 2019-24 की अवधि के लिए चयनित विकास खण्डों के नरेगासॉफ्ट आँकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि कुल 16,530 दिनों की मजदूरी भुगतान में देरी हुयी, परन्तु मात्र 70 क्षतिपूर्ति दिनों की स्वीकृति प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाओं के कारण अथवा क्षतिपूर्ति हेतु योग्य न होने के कारण

3,304 दिनों को अस्वीकृत कर दिया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त, ₹ 0.18 लाख की विलंबित क्षतिपूर्ति में से ₹ 0.15 लाख का सत्यापन किया जाना लंबित था (परिशिष्ट-3.3)।

**चयनित कार्यों में शामिल श्रमिकों को भुगतान का विश्लेषण:**

लेखापरीक्षा द्वारा मजदूरी भुगतान में हुये उल्लेखनीय विलंब के प्रकरण पाये गये, जिन्हे नमूना जाँच ग्रा पं के चयनित कार्यों के म रो के विश्लेषण द्वारा उजागर किया गया, जिसमें श्रमिक समय पर क्षतिपूर्ति पाने के कानूनी अधिकार से वंचित रहे। चयनित 160 कार्यों के 1,232 म रो की जाँच से यह संज्ञान में आया कि 411 (33 प्रतिशत) म रो में निहित 2,946 श्रमिकों के भुगतान में 4 से 157 दिनों के विलम्ब के साथ औसतन 31 दिनों का विलंब हुआ, परिणामस्वरूप, कुल 12,697 दिनों का विलंब तथा विलम्ब क्षतिपूर्ति ₹ 1.02 लाख की हकदारी बनी।

लाभार्थी सर्वेक्षण में भी इन निष्कर्षों की पुष्टि हुयी। 200 लाभार्थियों में से 122 (61 प्रतिशत) लाभार्थियों द्वारा कार्य पूर्ण होने की तिथि से 15 दिनों की निर्धारित सीमा के अंदर मजदूरी का भुगतान नहीं प्राप्त होना बताया गया। इसने न केवल उन श्रमिकों के लिए वित्तीय कठिनाई उत्पन्न की, जो अपनी आजीविका के लिए इस मजदूरी पर निर्भर हैं, अपितु जरूरतमंद लोगों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के मनरेगा के मूल उद्देश्य को भी कमजोर किया। इस प्रकार, इन मुद्दों को हल करने में विफलता ने मनरेगा के उद्देश्य को निष्फल किया तथा समाज के सबसे कमजोर वर्गों पर इसके प्रभाव का हास किया।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) में, सचिव, ग्रा वि वि द्वारा तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया कि भा स द्वारा धनराशि विलंब से/कम जारी किए जाने के कारण कुछ प्रकरणों में श्रमिकों को समय पर भुगतान नहीं किया गया था।

### 3.5 बेरोजगारी भत्ता

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 3.2 के अनुसार कार्य हेतु आवेदन पत्र में एक प्रतिपन्ना रसीद संलग्न होनी चाहिए जिस पर तिथि अंकित की जा सके, और आवेदन जमा करने के तुरंत बाद दिनांकित रसीद<sup>9</sup> जारी की जानी चाहिए।

<sup>9</sup> कार्य हेतु आवेदनों को अस्वीकार करने और दिनांकित रसीदें प्रदान करने से इंकार करना मनरेगा की धारा 25 के अंतर्गत उल्लंघन माना गया है।

इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के प्रस्तर 3.5 के अनुसार यदि कोई आवेदक अपना आवेदन जमा करने या रोजगार माँग की तिथि, जो भी बाद में हो, के 15 दिनों के अंदर रोजगार प्राप्त नहीं करता है, तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते<sup>10</sup> हेतु हकदार होंगे। आगे, परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 10.3.6 में भी अधिदेशित किया गया है कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव तथा विकास खण्ड स्तर पर का अ एवं अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा एक निर्धारित प्रारूप में रोजगार पंजिका का रख-रखाव किया जायेगा।

लेखापरीक्षा में इन दिशानिर्देशों का उल्लेखनीय गैर-अनुपालन पाया गया। किसी भी चयनित गा पं में कार्य की माँग हेतु पंजिका का रख-रखाव नहीं किया गया, जिससे वास्तविक प्रस्तावित कार्य के सापेक्ष माँग किए गए कार्य की तुलना न हो पाने के कारण, बेरोजगारी भत्ते की गणना करना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त, नरेगासॉफ्ट के आँकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2019-2024 के दौरान राज्य में कोई बेरोजगारी भत्ता वितरित नहीं किया गया।

चयनित गा पं से चयनित कार्यों की पत्रावलियों की समीक्षा में पाया गया कि:

- जाँच की गई किसी भी गा पं द्वारा आवेदकों को दिनांकित रसीदें प्रदान नहीं की गईं। 200 लाभार्थियों के सर्वेक्षण में भी पुष्टि हुयी कि किसी को भी दिनांकित रसीदें नहीं मिली थीं।
- नमूना जाँच किये गये कार्यों की पत्रावलियों में उपलब्ध रोजगार की माँग हेतु भरे गये किसी भी आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा जिस तिथि से रोजगार की माँग की गयी थी, से संबंधित कॉलम में तिथि अंकित नहीं की गयी थी।
- सभी प्रकरणों में कार्य की माँग के लिए आवेदन सामूहिक रूप से प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें एक ही आवेदन पत्र पर 156 लोगों तक को सूचीबद्ध किया गया था।
- एक आवेदन पत्र में आवेदकों के नाम एक ही लिखावट में लिखे गए थे जो इंगित करता है कि आवेदन पत्र कार्य को सौंपे जाने के समय भरा गया होगा।
- चयनित कार्यों के निष्पादन में उपयोग किए गए 386 आवेदन पत्रों के विश्लेषण में पाया गया कि 120 आवेदन पत्र (33 प्रतिशत) जिस तिथि में जमा किए गए, उस तिथि को दर्ज नहीं किया गया था, जिससे लेखापरीक्षा को इन प्रकरणों में रोजगार प्रदान करने में किसी भी देरी को ज्ञात करना संभव नहीं हो पाया **(परिशिष्ट-3.4 क)**।

<sup>10</sup> यह भत्ता प्रथम 30 दिनों हेतु मजदूरी दर के एक-चौथाई से कम नहीं होना चाहिए एवं वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होना चाहिए।

- 71 आवेदन पत्रों में आवेदकों के हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं थे (**परिशिष्ट-3.4 ख**)।
- आवेदन पत्र जिनमें आवेदन तिथि अंकित थी, की जाँच से ऐसे उदाहरण सामने आए जहां कार्य के इच्छुक व्यक्तियों को उनके आवेदन तिथि के 15 दिनों से अधिक समय पश्चात रोजगार प्रदान किया गया था, जिससे वे बेरोजगारी भत्ते के लिए पात्र थे, यद्यपि, जो उन्हें प्रदान नहीं किया गया (**परिशिष्ट 3.4 ग**)।
- अग्रेतर विश्लेषण में पाया गया कि 203 मजदूरों द्वारा रोजगार की माँग की गयी थी, परन्तु संबंधित का अ द्वारा तैयार किए गए म रो में उनके नाम शामिल नहीं थे। इस प्रकार, उन्हें रोजगार के साथ-साथ बेरोजगारी भत्ते के अवसर से भी वंचित रखा गया (**परिशिष्ट 3.4 घ**)।

इसे लाभार्थी सर्वेक्षण द्वारा भी प्रमाणित किया गया, जिसमें 200 लाभार्थियों में से 129 द्वारा बताया गया कि उन्हें कार्य हेतु तभी सूचित किया गया था जब कार्य संपादित किया जाना था। इस प्रकार, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कार्य हेतु आवेदन रोजगार प्रदान किए जाने के समय भरे गए थे, जिससे मनरेगा परिचालन दिशानिर्देश, 2013 में उल्लिखित राज्य द्वारा वित्त पोषित बेरोजगारी भत्ते से बचा गया। बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) में, सचिव, ग्रा वि वि द्वारा दिनांकित रसीद प्रदान करने हेतु निर्देश जारी करने तथा पात्र लाभार्थियों को, यदि बेरोजगारी भत्ते देय हो, उन्हें प्रदान किये जाने हेतु आश्वासित किया।

### **3.6 गैर-अनुमान्य व्यय**

परिचालन दिशानिर्देश, 2013 के प्रस्तर 12.5.2 के अनुसार राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों को मानव संसाधनों में वृद्धि करने और महत्वपूर्ण कार्यकलापों के लिए क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए केन्द्र सरकार एक वित्तीय वर्ष में मनरेगा पर कुल व्यय का 6 प्रतिशत तक प्रशासनिक व्यय<sup>11</sup> के रूप में प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तर 12.5.6 में प्रावधान है कि यह व्यय विशिष्ट मदों<sup>12</sup> पर नहीं किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा द्वारा पाया कि प्रशासनिक निधि का उपयोग राज्य और चयनित विकास खण्ड स्तर पर विभिन्न अस्वीकार्य मदों में भुगतान हेतु किया गया, जैसा नीचे चर्चा की गई है:

<sup>11</sup> धनराशि प्रशिक्षण, सूचना शिक्षा व संचार (आई ई सी) गतिविधियों, एम आई एस, गुणवत्ता प्रबंधन इत्यादि जैसे अनुमान्य गतिविधियों पर व्यय किया जाना चाहिए।

<sup>12</sup> (i) वाहनों की खरीद व पुराने वाहनों की मरम्मत; (ii) सिविल कार्य; (iii) सरकार/पंचायती राज संस्थाओं/किसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा पहले से ही नियुक्त किए गए कार्मिकों का वेतन/पारिश्रमिक; और (iv) कार्यों के लिए सामग्री की खरीद।

- सचिवालय, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून के ग्रामीण विकास अनुभाग में तैनात अनुभाग अधिकारी हेतु किराये पर लिये गये वाहन के लिए ₹ 21.17 लाख का भुगतान किया गया था, यद्यपि संबंधित अधिकारी वाहन उपयोग हेतु पात्र नहीं था।
- विकास खण्ड, नरेन्द्र नगर में कार्यालय वाहन की मरम्मत हेतु ₹ 0.25 लाख व्यय किया गया था।

इस प्रकार, प्रशासनिक निधि से धनराशि ₹ 21.42 लाख का व्यय उन मदों पर किया गया जो कि अनुमन्य नहीं था।

अपने उत्तर में, विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि वाहन विशेष रूप से अनुभाग अधिकारी को सौंपे जाने के बजाय ग्रामीण विकास विभाग के सचिवालय कर्मचारियों को पूल के आधार पर प्रदान किया गया था। कार्यालय वाहन की मरम्मत से संबंधित प्रकरण को विकास खण्ड द्वारा स्वीकार किया गया। विभाग का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अपात्र अधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराना नियमानुसार नहीं था।

### 3.7 निधि का व्यावर्तन

भारत सरकार द्वारा जारी मास्टर परिपत्र के प्रस्तर 10.1.6.1 के अनुसार, प्रशासनिक निधि का 0.5 प्रतिशत तक राज्य के सामाजिक लेखापरीक्षा हेतु रक्षित किया जाएगा। सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई (सा ले ई) के लिए धनराशि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से संबंधित राज्य सरकार के माध्यम से सा ले ई के स्वतंत्र बैंक खाते में जारी की जाएगी।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया कि नवंबर 2022 में सा ले ई को एजेंसी के कार्मिकों के मानदेय और अन्य संसाधनों के भुगतान के साथ-साथ सामाजिक लेखापरीक्षा को सुगम बनाने हेतु मनरेगा निधि के श्रम मद से ऋण के रूप में ₹ 5.00 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित की गई थी, जो भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत थी। इसके अतिरिक्त, सा ले ई द्वारा वर्तमान तक यह धनराशि राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ, देहरादून को वापिस नहीं की गई थी।

बहिर्गमन गोष्ठी (जनवरी 2025) के दौरान लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए, सचिव, ग्रा वि वि द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार ने यू एस ए ए टी ए को पर्याप्त धनराशि अवमुक्त नहीं की, जिससे धनराशि को समायोजित करना कठिन हो गया।

### 3.8 निष्कर्ष

ऐसे प्रकरण पाये गए जिनमें राज्य सरकार द्वारा रा रो ग नि को निधियां जारी करने में विलम्ब किया गया। राज्य सरकार द्वारा अपनी देनदारी भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी गयी। इसके अतिरिक्त, अकुशल कामगारों को मजदूरी का विलंब से भुगतान, बेरोजगारी भत्ते का भुगतान न करना, गैर-अनुमन्य मदों पर व्यय एवं मजदूरी मद से संबंधित धनराशि के अन्यत्र उपयोग के प्रकरण भी देखे गए।

### 3.9 अनुशंसाएँ

1. *भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित निधि अंतरण की समय-सीमा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। निधि अंतरण के लिए आसन्न समय सीमा को चिह्नित करने के लिए कोषागार और एस ई जी एफ सिस्टम के अंदर स्वचालित चेतावनी विकसित की जानी चाहिए।*
2. *विलंब क्षतिपूर्ति की गणना, सत्यापन एवं निर्गत करने के लिए नरेगासॉफ्ट में स्वचालित प्रक्रियाओं को बिना हस्तचालित हस्तक्षेप के लागू किया जाना चाहिए। कार्यक्रम अधिकारियों को नरेगासॉफ्ट के प्रभावी ढंग से उपयोग करने एवं विलंब क्षतिपूर्ति अनुमोदन/अस्वीकृति संबंधी अभिलेखों के उचित रख-रखाव हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।*
3. *धनराशि के गैर-अनुमन्य अथवा व्यावर्तन उपयोग के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। देयता भुगतान, निधि का उपयोग एवं खातों के मिलान की आवधिक समीक्षा के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधि का उपयोग मनरेगा के दिशानिर्देशों के अनुसार हो एवं स्वतंत्र लेखापरीक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।*